राजस्थान सरकार

कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति
(नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com

क्रमांक : F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-V/15/ 694 दिनांक : 08-09-2016

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/14/01 दिनांक 11.12.2014 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक DLB/STP/SLC/CILU/ 14/47 दिनांक 18.12.2014 के क्रम में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की पंचम बैठक दिनांक 15.02.2016 को 02:30 बजे निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. मन्जीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. द्वारा की गई। बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित हुये :–

- श्री पुरूषोत्तम बियाणी, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य)
- श्री आर.के. विजयवर्गीय, सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर। (सदस्य सचिव)
- संबंधित नगरीय निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/ प्रतिनिधि (संलग्न परिशिष्ट 'अ') (सदस्य)
- नगर नियोजन विभाग से निम्न अधिकारी उपस्थित हुए :–
  - क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर
  - उप नगर नियोजक, उदयपुर
  - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक अजमेर (प्रतिनिधि कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर)
  - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जोधपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर)
  - क्षेत्रीय सहायक नगर नियोजक जयपुर (प्रतिनिधि वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर)
  - जिला नगर नियोजक, टोंक
  - जिला नगर नियोजक, भीलवाड़ा

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख शासन सचिव द्वारा गत बैठक दिनांक 10.09.2015 में लिये गये निर्णय की पालना बाबत् चर्चा की गयी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्णय की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं आगामी बैठक से पूर्व Action Taken Report उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बैठक में समस्त प्रकरणों पर विचार–विमर्श एवं निर्णय पश्चात अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि सभी नगरों का एकीकृत विकास किया जाना चाहिए और कहा कि बड़ी योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा यह भी निर्देश दिये कि मास्टर प्लान बनाते समय आम जन की निजी भूमि के स्थान पर राजकीय/सरकारी भूमि को भू–उपयोग सुविधा क्षेत्र पब्लिक यूटिलिटी हेतु आरक्षित रखे जाने का यथा संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि आम जन को परेशानी न हो तथा मास्टर प्लान लचीला होना चाहिए। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये की भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही के पश्चात 90–ए की कार्यवाही कर ले–आउट प्लान व पट्टे जारी करने की कार्यवाही 3 माह में सम्पन्न कर दी जानी चाहिए एवं नगरीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन का औचित्य भी आवश्यक रूप से स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया, तथा उपरोक्त अनुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों की पालना हेतु 2 हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के ले–आउट प्लान में उपरोक्त नीतियों के अनुसार भू–खण्डों का आरक्षण किया जाना एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत् वित्तीय सहायता की सुनिश्चितता निदेशालय के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा की जावेगी। अतः ऐसे समस्त स्वीकृत ले–आउट प्लान नगरीय निकायों के स्तर पर प्राप्त होते है उन ले–आउट प्लान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों को सुनिश्चित किये जाने हेतु संबंधित नगरीय निकायों से पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

को अधिकृत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस सम्बन्ध में समस्त नगरीय निकायों को पृथक से निर्देशित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 तथा Housing for all के प्रावधानों के तहत आरक्षित भूमि के रिकार्ड का संधारण भी निदेशालय के स्तर पर किया जावे, ताकि E.W.S./L.I.G. हेतु आरक्षित भूमियों के लाभार्थियों हेतु उचित कार्यवाही की जा सके।

समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की कार्यवाही विवरण पर राज्य सरकार के स्तर पर विचार विमर्श पश्चात् यह तथ्य नोट किया गया, कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार हेतु गठित राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पार्क, खुले स्थल खैल के मैदान, सामुदायिक सुविधाऐं मय राजकीय/अर्द्धराजकीय कार्यालयों हेतु भू–उपयोगों का भू–उपयोग परिवर्तन नहीं किया जा रहा हैं। अतः नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग की समितियों के निर्णयों में एकरूपता रखे जाने की दृष्टि से एजेण्डा संख्या 1, 25, 32, 33, 35, 38 एवं 39 से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में अनुमोदन पर विचार नही किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। एजेण्डा संख्या 50 से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक सरलीकरण के निर्णय को पृथक से पत्रावली पर प्रस्तुत किये जाने के निर्णय के साथ एजेण्डावार कार्यवाही विवरण अनुमोदन पश्चात् संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोटः–
बैठक कार्यवाही विवरण स्वायत्त शासन विभाग की वैबसाईट ***www.lsg.urban.rajashtan.gov.in*** *पर* ***Town Planning>state level land use change committee>zones*** *से भी* ***download*** *किये जा सकते हैं।*

08/09/2016
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : **F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-V/15/** 695-97 दिनांक : 08-09-2016

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राष्ट्रीय राजधानीय क्षेत्र (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।

08/09/2016
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : **F.59 DLB/STP/SLC-CILU/Meeting-V/15/** 698-734 दिनांक : 08-09-2016

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, एवं उदयपुर।
2. आयुक्त नगर परिषद, चुरू, बांरा, बून्दी
3. अधिशाषी अधिकारी, गुलाबपुरा, (भीलवाड़ा), मालपुरा, परबतसर, आसीन्द, देवली, सरवाड़, निवाई, रायसिंहनगर, नोहर, राजगढ़ (चूरू), सूरतगढ़, पीलीबंगा, रींगस, शाहपुरा (जयपुर), विराटनगर, सांभर, सुमेरपुर, शिवगंज, बाली, सादड़ी (पाली), रानीखुर्द (पाली), खुडाला फालना स्टेशन, तखतगढ़, भीनमाल, भीण्डर, निम्बाहेडा, कपासन, बड़ी सादड़ी, सलूम्बर ।
4. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश एवं कार्यवाही विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

08/09/2016
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान सरकार
कार्यालय सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (नगर पालिका/परिषद/निगम से संबंधित) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल– stpdlb@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

बैठक उपस्थिति

नगर निगम/परिषद/पालिका से सम्बन्धित भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक डीएलबी/एसटीपी/एसएलसी/सीलू/14/01 दिनांक 11.12.2014 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की पंचम बैठक दिनांक 15.02.2016 को सभागार, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर में प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उपस्थित अधिकारियों की उपस्थिति का विवरण :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अधिकारी का नाम एवं पद
01.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	श्री पुरूषोत्तम बियाणी
02.	वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग	श्री आर.के. विजयवर्गीय,
03.	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन,	श्री रविराज वर्मा
04.	नगर पालिका, गुलाबपुरा	श्री कुलदीप जैन
05.	नगर पालिका, आसीन्द	श्री पवन मीणा
06.	नगर पालिका, मालपुरा	श्री डॉ सहदेव दान चारण
07.	नगर पालिका, देवली	श्री किशन लाल गुर्जर
08.	नगर पालिका, निवाई	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव
09.	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन	श्री फूला राम वर्मा, श्री पन्ना लाल सिसोदिया
10.	नगर पालिका, रायसिंहनगर	श्री रविन्द्र कुमार जैन
11.	नगर पालिका, नोहर	श्री दलीप पूनियां ई.ओ.
12.	नगर परिषद, चूरू	श्री हेमाराम ढाका, श्री राकेश कुमार शर्मा
13.	नगर पालिका, पीलीबंगा	श्री पवन चौधरी
14.	वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन	श्री ओ.पी. पारीक
15.	नगर पालिका, शाहपुरा	श्री रोहित शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
16.	नगर पालिका, विराटनगर	श्री सुरेश चन्द मीना
17.	नगर पालिका, सांभर	श्री हरिनारायण यादव, ई.ओ.
18.	वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर, जोन	श्री गणपत लाल सुथार,
19.	नगर पालिका, सुमेरपुर	श्री मुकेश कुमार, ई.ओ.
20.	नगर पालिका, बाली	श्री महिपाल सिंह
21.	नगर पालिका, सादड़ी	श्री मोहन लाल सिंह
22.	नगर पालिका, रानीखुर्द	श्री हरि सिंह राजपुरोहित, ई.ओ.
23.	नगर पालिका, खुडाला फालना	श्री भरत लाल मीणा, जेईएन
24.	नगर पालिका, तखतगढ़	श्री भवगत सिंह परमार , ई.ओ.
25.	वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा, जोन	श्री संदीप दंडवले
26.	नगर परिषद, बारा	श्री वी.एस. शर्मा,
27.	वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर, जोन,	श्री एस.के. श्रीमाली
28.	नगर पालिका, भीण्डर	श्री झब्बर सिंह चौहान
29.	नगर पालिका, कपासन	श्री सोहन लाल, ई.ओ.
30.	नगर पालिका, सलूम्बर	श्री गोविन्द माली, ई.ओ.
31.	उप नगर नियोजक, उदयपुर	श्री अरविन्द सिंह कानावत,
32.	सहायक नगर नियोजक	श्री किशन लाल खांडा,
33.	नगर पालिका भीण्डर	श्री इन्द्र सिंह चौहान, वरिष्ठ लिपिक
34.	सहायक नगर नियोजक, जयपुर,	श्री अमित व्यास

(हस्ताक्षर)

वरिष्ठ नगर नियोजक
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर